दिनांक 12.03.2018 को माननीय मंत्री, कृषि की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित विभागीय योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

1. कृषि विभाग द्वारा कुल उद्व्यय 2402.76 करोड़ रू0 के विरूद्ध 1902.13 करोड़ रू0 का स्वीकृति आदेश एवं 1570.84 करोड़ रू0 का आवंटन आदेश निर्गत किया गया है। जिसके विरूद्ध अभी तक कुल 906.40 करोड़ रू0 की निकासी की गई है, जो कुल उद्व्यय का 37.72 प्रतिशत एवं आवंटित राशि का 57.02 प्रतिशत है। निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष के अवशेष समय का पूर्ण सदोपयोग किया जाय एवं पूरा प्रयास कर कृषि विभाग की उपलब्धि में अधिक से अधिक बढ़ोत्तरी की जाय।
2. आकस्मिक फसल योजना/डीजल अनुदान मद में कुल आवंटित राशि 109.93 करोड़ रू0 के विरूद्ध 30.76 करोड़ रू0 की निकासी की गई है। इस योजना अन्तर्गत 5 करोड़ रू0 और खर्च होने की सम्भावना है।
3. कृषि प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण की योजना अन्तर्गत कुल आवंटित राशि 152.40 करोड़ रू0 के विरूद्ध 117.52 करोड़ रू0 व्यय किया गया है। इस योजना अन्तर्गत कुल उद्व्यय 296.00 करोड़ रू0 के विरूद्ध 227.63 करोड़ रू0 का स्वीकृति आदेश निर्गत किया गया है। इस योजना अन्तर्गत ई–किसान भवन के सुदृढ़ीकरण हेतु 14 करोड़ रू0 की योजना का स्वीकृति आदेश निर्गत नहीं हो सका है। संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जॉच प्रयोगशाला–सह–प्रभारी पदाधिकारी, ई–किसान भवन, बिहार को इसकी संचिका दिनांक 13.03.2018 को प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। सभी संयुक्त कृषि निदेशक को अपने–अपने संबंधित जिलों की समीक्षा करने एवं अधिक से अधिक राशि का व्यय कैसे हो इसे सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
4. कृषि यांत्रिकीकरण योजना अन्तर्गत 180 करोड़ रू0 के विरूद्ध अभी तक 72.06 करोड़ रू0 की निकासी की गई है। सभी जिलों में बिक्री किये गये यंत्रों के लिए राशि की निकासी की जा रही है। इस योजना में अधिकतम 130 करोड़ तक व्यय होने की संभावना है। सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को इस योजना पर विशेष ध्यान देने एवं पूर्ण प्रयास कर अधिक से अधिक राशि व्यय कराने का निदेश दिया गया।

   जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण एवं गोपालगंज द्वारा अनु0 जनजाति मद में अतिरिक्त राशि की मांग की गई है। निदेश दिया गया कि जिन जिलों को अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है, वे कोटिवार राशि की मांग अविलम्ब भेज दें एवं जिन जिलों में राशि व्यय नहीं हो सकेगी वे अविलम्ब राशि प्रत्यर्पित कर दें, ताकि मांग वाले जिलों को राशि दी जा सके।
5. मिट्टी बीज परीक्षण प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण की योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 8 करोड़ रू0 के विरूद्ध अभी तक 3.58 करोड़ रू0 व्यय किया गया है। संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला द्वारा बताया गया कि लगभग 5.50 करोड़ रू0 व्यय हो सकेगा। माननीय मंत्री ने कहा कि योजना विगत वर्ष जुलाई में ही स्वीकृत हो गया था और 5.69 करोड़ रू0 का आवंटन हो चुका है। क्षोभ व्यक्त किया गया कि 8 माह बीत गया परन्तु व्यय की रफ्तार धीमी है।

6. कृषि विपणन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कुल उद्व्यय 72.56 करोड़ रू0 के विरूद्ध 6.69 करोड़ रू0 का स्वीकृति आदेश निर्गत किया गया है। इस राशि की निकासी कर भवन निर्माण विभाग को दिया जाना है। निदेश दिया गया कि राशि को अविलम्ब व्यय करने हेतु Technical Approval करा लिया जाय, बाद में Administrative Approval होगा। कृषि निदेशक को विशेष ध्यान देकर कार्य कराने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
7. बीज विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कुल उद्व्यय 143.29 करोड़ रू0 के विरूद्ध 106.46 करोड़ रू0 का स्वीकृति आदेश निर्गत हुआ है, जिसमें से अभी तक 40.50 करोड़ रू0 की निकासी हुई है। बी0आर0बी0एन0 के गोदामों में Dehumidifier लगाने हेतु 12.53 करोड़ रू0 की योजना स्वीकृति की प्रक्रिया में है।
8. जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 129.77 करोड़ रू0 के विरूद्ध 76.06 करोड़ रू0 की निकासी की गई है। वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जैविक उर्वरक कोषांग द्वारा बताया गया कि जिलों में 12 करोड़ रू0 और व्यय हुआ है, जिसका विपत्र कोषागार में भेजा जा रहा है। बायोगैस में उपलब्धि नहीं हो पा रही है, इसे वर्मी कम्पोस्ट यूनिट में व्यय करने का निदेश दिया गया। 2.35 करोड़ रू0 पौधा संरक्षण कार्यक्रम का अलग से निकासी किया जाना है। ढैंचा बीज हेतु 2.80 करोड़ रू0 कृषि निदेशालय द्वारा निकासी कर बी0आर0बी0एन0 को देना है।
9. कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु कुल स्वीकृत राशि 10 करोड़ रू0 की निकासी कर वित्त विभाग को दिया जाना है।
10. कौशल विकास योजना अन्तर्गत स्वीकृत 12.00 करोड़ रू0 में से अभी तक 0.64 करोड़ रू0 की निकासी की गई है। इस वर्ष 2 करोड़ रू0 व्यय होने की सम्भावना है।
11. बोरलॉग इन्स्टीच्यूट ऑफ साउथ एशिया अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 0.753 करोड़ रू0 की निकासी हेतु विपत्र कोषागार में भेजा गया है।
12. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन :– इस योजना अन्तर्गत कुल आवंटित राशि 89.45 करोड़ रू0 के विरूद्ध 37.70 करोड़ रू0 की निकासी हुई है। इस योजना अन्तर्गत 75 करोड़ रू0 व्यय हो सकेगा।
13. एन0एम0ओ0ओ0पी0 योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 3.44 करोड़ रू0 के विरूद्ध अभी तक 0.277 करोड़ रू0 की निकासी की गई है। इस योजना अन्तर्गत किशनगंज जिला में Targeting Rice Fellow Area योजना के कार्यान्वयन हेतु 6.67 करोड़ रू0 की योजना स्वीकृत की जा रही है, इसमें से 4 करोड़ रू0 व्यय हो जायेगा।
14. एन0एम0एस0ए0 :– इस योजना अन्तर्गत कुल आवंटित राशि 1.88 करोड़ रू0 के विरूद्ध भी तक 1.62 करोड़ रू0 की निकासी की गई है।
15. परम्परागत कृषि विकास योजना :– इस योजना अन्तर्गत कुल आवंटित राशि 3.56 करोड़ रू0 के विरूद्ध 1.89 करोड़ रू0 की निकासी हुई है। अभी भी दो जिलों में राशि की निकासी नहीं हुई है।

16. आत्मा योजना :– आत्मा योजना अन्तर्गत 70.00 करोड़ रू0 का आवंटन निर्गत किया गया है। इसमें से 65.10 करोड़ रू0 की निकासी की गई है। सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को इस योजना से वेतन मद की राशि की निकासी कराने का निदेश दिया गया।

17. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :– इस योजनान्तर्गत कुल आवंटित राशि 225.90 करोड़ रू0 में से 142.72 करोड़ रू0 की निकासी की गई है। इस योजना में 150 करोड़ रू0 तक निकासी होने की सम्भावना है।

18. नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान अन्तर्गत आवंटित राशि 360.532 लाख रू0 में से 284.91 लाख रू0 की निकासी कर ली गई है तथा 75.62 लाख रू0 की निकासी करने हेतु विपत्र कोषागार में भेजा जा रहा है।

19. सब–मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल योजना अन्तर्गत कुल आवंटन 18.12 करोड़ रू0 के विरूद्ध 2.64 करोड़ रू0 की निकासी हुई है। 8.15 करोड़ रू0 जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा निकासी कर बी0आर0बी0एन0 को उपलब्ध कराना है। बी0आर0बी0एन0 द्वारा सभी जिला कृषि पदाधिकारी को अभिश्रव भेज दिया गया है।

20. माप–तौल का सुदृढ़ीकरण की योजना अन्तर्गत 1.84 करोड़ रू0 का आवंटन निर्गत हुआ है। नियंत्रक माप–तौल द्वारा बताया गया कि इसमें से 90 प्रतिशत तक राशि की निकासी हो जायेगी। इस योजना अन्तर्गत 6.88 करोड़ रू0 का एक और स्वीकृति आदेश निर्गत होने वाला है।

21. कृषि शिक्षा अन्तर्गत 159 करोड़ रू0 के उद्व्यय में से 111.42 करोड़ रू0 का स्वीकृति आदेश एवं 110.59 करोड़ रू0 का आवंटन निर्गत हुआ है। 110.02 करोड़ रू0 की निकासी हो गई है। 48 करोड़ रू0 की योजना निगरानी विभाग में सहमति के लिए लम्बित है।

22. भूमि संरक्षण निदेशालय का कुल उद्व्यय 151.74 करोड़ रू0 में से 144.81 करोड़ रू0 का स्वीकृति आदेश तथा 97.61 करोड़ रू0 का आवंटन आदेश निर्गत हुआ है, जिसमें से 97.54 करोड़ रू0 की निकासी कर जिलों में व्यय हेतु भेज दिया गया है।

23. उद्यान निदेशालय का कुल उद्व्यय 247.45 करोड़ रू0 में से 155.87 करोड़ रू0 का स्वीकृति आदेश तथा 101.38 करोड़ रू0 का आवंटन आदेश निर्गत हुआ है। निदेशक, उद्यान द्वारा बताया गया कि इसमें से 53 करोड़ रू0 का व्यय हो गया है तथा 18 करोड़ रू0 का विपत्र कोषागार में भेजा गया है, जिसकी निकासी हो जायेगी।

24. निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में जो योजना पूर्व वर्षो की भांति संचालित की जानी है एवं उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाना है, उसे पहले स्वीकृत करा ली जाये। जिन घटकों में बदलाव करना है, उसकी स्वीकृति बाद में करायेंगे। निदेश दिया गया कि सभी राज्य योजनाओं की स्वीकृति दिनांक 31 मार्च, 2018 तक करा ली जाय तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संलेख तैयार कर रखा जाय। भारत सरकार से आवंटन प्राप्त होते ही उसकी राशि भरकर योजना की स्वीकृति करा ली जायेगी।

25. अप्रैल, 2018 से कृषि रोड मैप पर कार्य किया जायेगा। योजना एवं विकास विभाग से कृषि रोड मैप के अनुसार राशि की मांग कर योजनाओं की स्वीकृति कराई जायेगी एवं कृषि रोड मैप को धरातल पर उतारा जायेगा।

26. वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत कुल राज्य उद्व्यय 578.82 करोड़ रू0 के विरूद्ध 441.30 करोड़ रू0 भारत सरकार से स्वीकृत किया गया था। इसमें से 195.94 करोड़ रू0 का आवंटन ही भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश मद्द में विमुक्त किया गया है। अब तक 195.90 करोड़ रू0 केन्द्रांश की विमुक्ति भारत सरकार से नहीं हुई है। निदेश दिया गया कि भारत सरकार के केन्द्रांश मद की जितनी राशि प्राप्त नहीं हुई है उसका Matching Grant राज्यांश की राशि को प्रत्यर्पित कर दिया जाय। माननीय मंत्री, कृषि ने निदेश दिया कि विभाग के स्तर पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र समय पर भारत सरकार को भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ताकि केन्द्रांश समय पर मिल जाय।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

26.3.2018

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–10/18 – 1861 पटना, दिनांक :– 27/3/18

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बी0आर0बी0एन0, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/निदेशक, प्री0पी0एम0, बिहार, पटना/उप निदेशक, प्रशासन, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, कृषि, बिहार के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट पूर्णिया/संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप–तौल, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/मुख्यालय स्थित सभी उप निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, आत्मा/सभी योजना के नोडल पदाधिकारी/सभी जिला के नोडल पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान/सभी उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.3.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–10/18 – 1861 पटना, दिनांक :– 27/3/18

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल करने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26.3.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।